

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

बेजनाथ पिता भूरा जाट नि. भीलडी

बनाम

बद्री पिता बालुलाल जाट नि. भीलडी वगैरा

किरम मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं 537 / 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
23.05.22	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम गुलाबपुरा प. ह. टीटोडी तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 826 कुल किता 1 रकबा 2.2339 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडोसी अप्रार्थीगण है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगदी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगदी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमावन्दी सम्मत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगदी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगदी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम गुलाबपुरा प. ह. टीटोडी तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 826 कुल किता 1 रकबा 2.2339 हैक्टेयर की पडोसियान की उपस्थिति में पत्थरगदी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षण बावडी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1000- रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उगमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को दिसा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 23.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>

उपखण्ड अधिकारी,  
जहाजपुर(भीलवाडा)